राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-७००४/२००६

भगत सिंह बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:१७.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री आर के माथुर, अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त- प्रार्थी द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-२०१/२००६ पुलिस थाना- बानसूर अपराध अन्तर्गत धारा- ४९८-ए, ४०६ भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि वह फौज में नौकर है तथा उसका अधिकांश समय हार्ड ड्यूटी पर व्यतीत होता है इस कारण उसकी पत्नी ममता दो-चार दिन के लिए आकर वापिस अपने पीहर चली जाती है। उनका यह भी तर्क रहा है कि यह अभियुक्त-प्रार्थी का आदर्श विवाह था, जिसमें दहेज लेन-देन नहीं हुआ था, यह परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में बताये गये दहेज के सामान से ही स्पष्ट हो रहा है तथा येन-केन-प्रकारेण प्रार्थी-अभियुक्त से पृथक होने के उद्धेश्य से ही ममता ने झूंठे आरोप लगाये हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि ममता की दो और बहिने, प्रार्थी-अभियुक्त के निकट रिश्तेदार में ब्याही हैं लेकिन उनका भी गौणा कर नहीं भेजा जा रहा है। प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से यह भी

तर्क दिया गया है कि उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक २८.३.२००६ को परिवादिया ममता को अपना पतिव्रत निभाने के लिए वापस आने हेतु नोटिस भी दिया किन्तु उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही ममता वापस लौटी तत्पश्चात् लगभग चार माह बाद परिवादिया के पिता राम स्वरूप द्वारा दिनांक ३.७.२००६ को यह झूंठी मनगढन्त रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्त-प्रार्थी के पिता उग्रसेन व दो छोटे भाई गिरधर गोपाल एवं रूप चंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी जमानत भी हो चुकी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि तथाकथित स्त्रीधन भी पुलिस को उसके पिता व भाईयों द्वारा सुपर्द कर दिया गया है जो कि ममता की सुपुर्दगी में है। उनका यह भी तर्क रहा है कि आकरण ही प्रार्थी-अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उद्धेश्य से झूंठे आरोप लगाते हुए यह रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है ताकि उसकी सेना की नौकरी में व्यवधान उत्पन्न हो जबकि उसके द्वारा कोई अपराध ही नहीं किया गया है।

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों एवं दौरान बहस प्रस्तुत समग्र प्रलेखीय सामग्री पर विचार किया।

अभियुक्त-प्रार्थी सेना में नौकर है, जिसका कि फरवरी के अन्तिम सप्ताह से अपनी ड्यूटी पर कार्य करना बताया गया है। उसके द्वारा दिनांक २८.३.२००६ को अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए नोटिस दिया जाना भी बताया गया किन्तु वह वापस नहीं आयी और उसके चार माह बाद दिनांक ३.७.२००६ को ममता के पिता राम स्वरूप द्वारा यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है तथा इस मामले में तथाकथित स्त्रीधन भी जप्त होना बताया गया है।

इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता, उभय पक्ष के तर्कों व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थी को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी भगत सिंह पुत्र उग्रसैन निवासी अलमदीका

तहसील किशनगढ़बास, अलवर हाल भारतीय सेना में एफ कम्पनी १८ प्लाटून ५८ राष्ट्रीय राईफल केयर आफ ५६ ए पी ओ. को पुलिस थाना- बानसूर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-२०१/२००६ में गिरफ्तार किया जावे तो उसे अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रार्थी द्वारा रूपये **१०,०००/-** (**दस** हजार रूपये मात्र) का स्वयं का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये **५,०००/- -- ५,०००/-(पांच-पांच हजार रूपये मात्र)** की दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

१. यह कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
२. यह कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
३. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगा।
४. यह कि प्रार्थी भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होगा।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल)